न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या– 09/2023

1. संदीप कौर पुत्री स्वरूप सिंह पत्नी जसवन्त जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी सिखान हाल निवास मोजूखेड़ा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरि0)।

2. लवप्रीत नाबालिग पुत्री जसविन्द्र कौर पुत्री स्वरूप सिंह पत्नी कुलवंतसिंह जरिये वली संदीप कौर पुत्री स्वरूप सिंह जटसिख निवासी ढ़ाणी सिखान हाल निवासी मोजूखेड़ा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरि0)।

3. हरमीत कौर नाबालिग पुत्री जसविन्द्र कौर पुत्री स्वरूप सिंह पत्नी कुलवंतसिंह जरिये वली संदीप कौर पुत्री स्वरूप सिंह जटसिख निवासी ढ़ाणी सिखान हाल निवास मोजूखेड़ा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरि0)।

–अपीलान्टस

बनाम

1. गुरमुख सिंह पुत्र स्वरूप सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी सिखान नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (राज0)

2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ।

–रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः– श्री भरतसिंह बैनिवाल अधिवक्ता अपीलांट।

श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–1

निर्णय दिनांकः–16.04.2024

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार (राजस्व) नोहर दिनांक 06.04.2022, जिसमें वसीयत के मुताबिक इन्तकाल दर्ज करवाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है, को निरस्त कर प्रार्थना पत्र खारिज करवाने बाबत अपीलान्ट द्वारा अपील के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार से है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 16:00:35 IST
Reason: SelfAttested

1. रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ने मातहत अधिकार में एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा चक 3 बी.के.के. तहसील नोहर के खाता संख्या 101/92 के प0 नं0 298/427 (55) के किला नं. 6 ता 8, 14 ता 17 कुल रकबा 1.328 हैक्टैयर भूमि की वसीयत मेरे पिता स्वरूपसिंह पुत्र श्रवणसिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

सिखान नोहर ने दिनांक 24.07.2018 को करवाई थी एवं वसीयतकर्ता का दिनांक 01.07.2020 को देहान्त हो चुका है। इसलिए बाद देहान्त मुताबिक वसीयत मेरे नाम इन्तकाल दर्ज किया जावे। जिस पर तहसीलदार (राजस्व) नोहर ने बिना विधिवत रूप से सुनवाई किये मुताबिक वसीयत इन्तकाल दर्ज करने के आदेश दिये गये। जो मातहत अदालत ने विधि के मान्य सिद्धान्तों के खिलाफ निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है।

2. स्वरूप सिंह पुत्र श्रवणसिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी सिखान तहसील नोहर की विवादित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है, जो स्वरूपसिंह को अपने पिता श्रवणसिंह पुत्र बिशनसिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी सिखान से विरासतन रूप में प्राप्त हुई है। इसलिए विवादित भूमि पैतृक कृषि भूमि है, जो अपीलान्टस के दादा से प्राप्त हुई है। जिसमें सभी वारिसों का ब0हि0ब0 हक व हिस्सा बनता है लेकिन स्वरूप सिंह पुत्र श्रवणसिंह ने दिनांक 24.07.2018 को रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के पक्ष में वसीयत कर दी व स्वरूपसिंह का दिनांक 01.07.2022 को देहान्त हो गया एवं मुताबिक वसीयत इन्तकाल दर्ज करवाने का प्रार्थना पत्र पेश होने पर तहसीलदार (राजस्व) नोहर ने बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये मुताबिक वसीयत इन्तकाल दर्ज करने के आदेश दिये गये है, जो मातहत अदालत ने विधि के मान्य सिद्धान्तो के खिलाफ निर्णय पारित किया हैं, जो निरस्त योग्य है।

3. विवादित कृषि भूमि चक 3 बी.के.के. तहसील नोहर के खाता संख्या 101/92 की 1.328 है0 भूमि अपीलान्ट के पिता स्वरूपसिंह पुत्र सरवनसिंह को विरासतन अपने पिता श्रवणसिंह पुत्र बिशन सिंह जाति जटसिख से प्राप्त हुई थी। सरवनसिंह पुत्र बिशनसिंह के तीन लड़के थे। स्वरूपसिंह, मिठुसिंह, मखनसिंह पुत्रगण सरवनसिंह इससे स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि विरास्तन प्राप्त हुई थी इसलिए स्वरूपसिंह पुत्र श्रवणसिंह को विवादित भूमि पैतृक कृषि भूमि है ना की स्वयं की पैदाकर्ता भूमि है, कानूनी स्थिति के मुताबिक पैतृक कृषि भूमि की वसीयत नहीं की जा सकती है। इसलिए शुन्य वसीयत के आधार पर मातहत अदालत ने विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है,जो किसी भी त[illegible] खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 16:00:35 IST
Reason: SelfAttested

4. मातहत अदालत की पत्र[illegible] है, जिसमें साबित हो कि विवादित भूमि स्वरूपसिंह [illegible] भूमि हो, उसके बावजूद भी मातहत अद[illegible] पसिंह पुत्र श्रवणसिंह की खुद की पैदा करदा मानकर साजिशाना तरीके से विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

5. रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ने मातहत अदालत में जो प्रार्थना पत्र पेश किया, उसमें दिनांक 04.08.2020 को दर्ज होने के बाद लगभग 2 वर्ष तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और ना ही अपीलानट को कोई सूचना या नोटिस दिये गये, उसके बाद दिनांक 06.04.2022 को पटवारी, सरपंच की रिपोर्ट शामिल कर व अखबार में साया की सूचना पेश कर, उसी दिन गवाह के बयान दर्ज कर, निर्णय किया गया, जो जल्दबाजी व साजिशाना तरीके से विधि विरूद्ध निर्णय किया, जो निरस्त योग्य है।

6. वसीयत गवाहों से साबित होती है लेकिन मातहत अदालत की पत्रावली में गवाह का प्रार्थना पत्र दिनांक 16.02.2022 को मातहत अदालत में पेश किया कि वसीयत पत्रावली में गवाह के बयान दर्ज करवाने बाबत लेकिन पत्रावली के फर्द अहकाम में दिनांक 16.02.2022 को ना तो प्रार्थना पत्र का हवाला दिया है ना ही उस दिन गवाह के बयान दर्ज किये है। गवाह के बयान के शपथ पत्र पेश है, ना ही सत्यापित है, ना उस पर दिनांक अंकित है, इसलिए गवाहों के बयाज सादे कागज पर पेश कर देने से वसीयत का साबित होना मानकर निर्णय करना कानून के साथ मजाक करना है, इसलिए मातहत अदालत का निर्णय विधि की अवहेलना में किया गया है जो निरस्त योग्य है।

7. स्वरूप सिंह पुत्र श्रवणसिंह फौत हो गया है जिसके जायज वारिस अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 है तथा इनकी माता जसमैल कौर पत्नी स्वरूपसिंह ही है। स्वरूपसिंह के फौत होने के बाद रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ने मुताबिक वसीयत दिनांक 24.07.2018 के आधार पर गुपचुप तरीके से दिनांक 06.04.2022 को इन्तकाल दर्ज करने का आदेश पारित करवाया है, जिसके बाबत अपीलान्ट को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, ना ही कोई नोटिस प्राप्त हुआ हुआ, ना ही निर्णय होने की जानकारी हुई एवं दिनांक 27.04.2023 को नकल प्राप्त कर वकील से सम्पर्क किया और आज बिना किसी देरी के तुरन्त अपील पेश की जा रही है जो ज्ञान से अन्दर मियाद है।

8. स्वरूप सिंह पुत्र श्रवणसिंह के फौत होने के बाद उनके जायज वारिस अपीलान्ट संख्या–1 संदीप कौर, रेस्पोडेन्ट संख्या–1 [illegible] अपीलान्ट संख्या 2 व 3 की माता जसविन्द्र कौर [illegible] जसविन्द्र कौर की दिनांक 09.10.2013 को मृत्यु हो चुकी हैं। उनके [illegible] अपीलान्ट 2 व 3 है, जो नाबालिग है, उनके सं[illegible]प कौर मौसी है। जसमैल कौर पत्नी स्वरूप सिंह की मृत्यु दिनांक 13.03.2023 को हो गई है, जिनके वारिस अपील में पक्षकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 16:00:35 IST
Reason: SelfAttested

लिहाजा अपील अपीलान्टस पेश कर अर्ज है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार कर निर्णय दिनांक 06.04.2022 को निरस्त कर प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या–1 खारिज फरमाया

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

जावे। अपील प्रस्तुत होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजस्व नोहर से अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या–01 की ओर से श्री रविन्द्र गोदारा एडवाकेट उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या–02 के नोटिस बाद तामिल प्राप्त। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि श्रवणसिंह पुत्र बिशनसिंह के तीन लड़के थे– स्वरूपसिंह, मिठुसिंह, मखनसिंह पुत्रगण श्रवणसिंह इससे स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि विरासतन प्राप्त हुई थी, इसलिए स्वरूपसिंह पुत्र श्रवणसिंह को विवादित भूमि पैतृक कृषि भूमि है ना की स्वयं की पैदाकर्ता भूमि है, कानूनी स्थिति के मुताबिक पैतृक कृषि भूमि की वसीयत नहीं की जा सकती है। इसलिए शुन्य वसीयत के आधार पर मातहत अदालत ने विधि विरूद्ध दिनांक 06.04.2022 को मुताबिक वसीयत नामान्तरण दर्ज करनें का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया है। अतः अपील खारिज की जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा वसीयत दिनांक 24.07.2018 के आधार पर दिनांक 06.04.2022 को इन्तकाल दर्ज किया गया, जो सही एंव विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली का अध्ययन किया गया। अपीलांट एंव रेस्पोडेन्ट के पिता स्वरूपसिंह पुत्र श्रवणसिंह द्वारा दिनांक 24.07.2018 को रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के पक्ष में वसीयत निष्पादित की गई। स्वरूपसिंह पुत्र श्रवणसिंह द्वारा निष्पादित वसीयत में दर्ज भूमि पिता श्रवणसिंह पुत्र बिशनसिंह से प्राप्त हुई थी, स्वंय द्वारा उपार्जित नहीं थी। नियमानुसार कोई भी व्यक्ति स्वंय द्वारा उपार्जित संपत्ति की ही वसीयत कर सकता है, पैतृक संपत्ति की वसीयत नहीं कर सकता है। पैतृक संपत्ति में केवल अपनें हिस्से की संपत्ति की वसीयत कर सकता है। चूँकि स्वरूपसिंह ने संपूर्ण भूमि की वसीयत की है अतः भूमि पैतृक होनें के कारण वसीयत मान्य नहीं है। नियमानुसार विरासतन इंतकाल दर्ज किया जाना उचित है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है एंव अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर के निर्णय दिनांक 06.04.2022 को अपास्त किया जाता है। तहसीलदार (राजस्व) नोहर को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार एंव विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन कर प्रकरण का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 16:00:35 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 16.4.24 को सरेइजलास सुनाया गया।

(गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 16:00:35 IST
Reason: SelfAttested